

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : FC/2013-14) 583

दिनांक : 16-9-2013

—: कार्यालय-आदेश :-

मण्डल की 220वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 220.33 की अनुपालना में, मण्डल के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक 670 दिनांक 06.03.07 एवं 697 दिनांक 19.03.07 द्वारा मण्डल में कार्यरत परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) को देय फिक्स कन्वेएन्स चार्ज की दरों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| जयपुर, जोधपुर एवं मण्डल मुख्यालय      | 1000/- रूपये प्रतिमाह |
| कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर एवं अलवर | 800/- रूपये प्रतिमाह  |
| अन्य स्थान (खण्डों) में               | 600/- रूपये प्रतिमाह  |

इस संबंध में परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) को स्थानीय यात्रा हेतु, पूर्व प्रसारित कार्यालय आदेश क्रमांक 335 दिनांक 21.10.1995 द्वारा अनुज्ञेय कोई भत्ता पृथक से देय नहीं होगा।

उक्त आदेश दिनांक 01.09.2013 से प्रभावी होंगे।

(डी.सी. चौधरी)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/मुख्य अभियन्ता (मु./प्रथम/द्वितीय), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, .....
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त.....(समस्त)
4. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राजस्थान आवासन मण्डल, .....(समस्त)
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त/संकलन, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. लेखाधिकारी, वित्त/निरीक्षण/संकलन/भुगतान, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।